

**राजस्थान सरकार**  
**सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग**

ई-मेल ssraj.sje@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ. १५ ( )/सा.सु./स्वयंसिद्धा/सान्ध्याअवि/२०२४-२५/

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

**अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)**

जिला मुख्यालय पर बेघर, वृद्धजन एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों को स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह का जिला कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बून्दी, सिरोही, जालोर, बाड़मेर व पाली में संचालन किया जाना है।

उक्त के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित एवं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ पंजीकृत इच्छुक स्वयं सेवी संस्थाओं/द्रस्टों के साथ “अभिरुचि की अभिव्यक्ति” (**Expression of Interest**) जारी कर **१५.०४.२०२५** तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक स्वयं सेवी संस्था/द्रस्ट अपना आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कार्यालय को प्रेषित कर सकेंगे।

स्वयं सेवी संस्थाओं/द्रस्टों को निम्न क्रम से चयन में प्राथमिकता दी जावेगी—

1. जिन स्वयं सेवी संस्था/द्रस्ट द्वारा गृह का संचालन स्वयं के भवन में एवं बिना अनुदान मांग के करेगी।
2. जिन स्वयं सेवी संस्था/द्रस्ट द्वारा गृह के संचालन हेतु भवन किराये की मांग की जायेगी उन्हें राजकीय भवन उपलब्ध कराने पर गृह के संचालन हेतु किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं करेगी।
3. जिन स्वयं सेवी संस्था/द्रस्ट द्वारा गृह के संचालन स्वयं का भवन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा तथा संचालन हेतु अनुदान की मांग की जाएगी।
4. जिन स्वयं सेवी संस्था/द्रस्ट द्वारा भवन किराया एवं संचालन हेतु अनुदान की मांग करेगी।

नोट:- आवेदन पत्र, पात्रता एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट <http://sje.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ. १५ ( )/सा.सु./स्वयंसिद्धा/सान्ध्याअवि/२०२४-२५/

जयपुर, दिनांक : यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. जिला कलक्टर.....
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीचयिका एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक व्याय एवं अधिकारिता विभाग.....को भेजकर लेख है कि उक्त अभिरुचि की अभिव्यक्ति के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त निदेशक आई.टी. को प्रेषित कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

**Signature valid**

Digital Signature Verified by Hari Mohan Meena



Designation : Director

Date: 2025.03.12 18:05:53 IST

Reason: Approved